



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1933 (श0)
(सं0 पटना 803) पटना, शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2011

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

23 दिसम्बर 2011

सं० 08/लोक-05-07/2011-14075—बिहार लोकायुक्त अधिनियम-2011 की धारा-1 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना निर्गत की तिथि के प्रभाव से उक्त अधिनियम का प्रवर्तन अधिसूचित करती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

23 दिसम्बर 2011

सं० 08/लोक-05-07/2011-14076, अधिसूचना संख्या 14075, दिनांक 23 दिसम्बर 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नवीन चन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The 23rd December 2011

N0.-08/LOK-05-07/2011-14075—In exercise of powers conferred under sub-section- (3) of section-1 of the Bihar Lokayukat Act, 2011 the State Government notifies enforcement of the said Act with effect from the date of notification in official Gazette.

By Order of the Governor of Bihar
NAVIN CHANDRA JHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 803-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>